

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गवका की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2024-25/ ५७३७
निमित्त,

दिनांक:-16/08/2024

✓ मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषय:-Diversion of 0.5265 ha. Of forest land for Construction of Road from Kota to Pator, District -Karauli (Rajasthan) in favour of Public Work Department Karauli, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/35272/2018)

प्रसंग:-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 8193 दिनांक 24.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विंदन है कि आप द्वारा आपके उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति बिन्दवार निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र0सं	आक्षेप	जबाब
1	प्रस्ताव में सम्मिलित ग्राम कंवरपुरा एवं पाटोर की वनभूमि वनखण्ड कोटा ए में सम्मिलित होना अवगत कराया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम कंवरपुरा एवं पाटोर किन किन ग्रामों से टूटकर बनें हैं।	प्रस्ताव में सम्मिलित ग्राम कंवरपुरा जो ग्राम कोटा से टूटकर बना है, जिसका गजट नोटिफिकेशन संलग्न है एवं ग्राम पाटोर जो ग्राम बीजलपुर से टूटकर बना है, के सम्बन्ध में तहसीलदार (भू0अ0) करौली के पत्र क्रमांक 5516 दिनांक 14.08.2024 की प्रति संलग्न है।
2	डी0जी0पी0एस0 मैप में प्रस्तावित वन भूमि कांकरिया वनखण्ड में होना दर्शायी गई है, जबकि उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनखण्ड कोटा ए अंकित किया गया है।	डी0जी0पी0एस0 मैप में प्रस्तावित वन भूमि को वनखण्ड कोटा ए अंकित कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)

अतः आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(सुमित बंसल)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/

दिनांक:- / /2023

प्रतिलिपि अ0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ0सी0ए0 राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ

एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

RajKaj Ref
9829619



Signature Not Verified

Digitally signed by Sumit Bansal
Designation : Deputy Conservator
Of Forest

Date: 2024.08.16 17:38:40 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\9829619\2024\08\16\173840IST



150

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सपोटरा

पता :- Near ITI Collage, PWD office Sapotra -322218 (राजस्थान) ई-मेल xensapotra2007@rediffmail.com

क्रमांक 634

दिनांक 05.08.2024

श्रीमान उप वन संरक्षक
करौली

विषय- Diversion of 0.5265 ha. Of Forest Land For Construction of Road From Kota to Pator, District Karauli (Rajasthan) in Favour of Public Work Department Karauli, Rajasthan (Proposal No FP/RJ/Road/35272/2018)

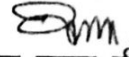
प्रसंग- आपका पत्र क्रमांक एफ()वसु/उवस/2022-23/3003 दिनांक 29.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसागिक पत्र के सम्बन्ध में ग्राम कंवरपुर, ग्राम कोटा से टूटकर बना है एवं ग्राम पाटोर ग्राम बीजलपुर से टूटकर बना है, जिस सम्बन्ध में ग्राम कंवरपुर जो कोटा से टूटकर बना है जिसका गजट नोटिफिकेशन संलग्न है, तथा ग्राम पाटोर जो बीजलपुर से टूटकर बना है के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 226 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) करौली को नोटिफिकेशन की प्रति हेतु लिखा गया था। जिस क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) करौली के पत्र क्रमांक एल.आर/2024/2823 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पाटोर का गठन करौली जिले के गठन से पूर्व हो गया था। जिसकी प्रति संलग्न है।

श्रीमान को रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न- नोटिफिकेशन।


(शरत लाल मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड सपोटरा

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभि०) करौली

क्रमांक:- एल.आर./2024/2823

दिनांक: 4/7/24

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सपोटरा

विषय:- Diversion of 0.5265 ha. of Forest land for construction of Road from kota to pator district karauli (Rajasthan) in favour of public work department karauli rajasthan (proposal no FP/RJ/Road/35272/2018) के ऑनलाईन प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों के कम में।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 226 दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्राम पाटोर के नोटिफिकेशन की प्रति चाही गयी है जबकि ग्राम पाटोर का गठन करौली जिले के गठन से पूर्व हो गया था। इसलिए ग्राम पाटोर के नोटिफिकेशन संबंधी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(प्रिती गुर्जर)
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्टर करौली

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक 3-10-07

-अधिसूचना-

राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 16) की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार मे राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जिला करौली की तहसीलों मंतरागल, करौली, राफोटरा एवं टोडाभीम के मूल ग्रामों से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कालम संख्या 4 में अंकित मजदूरी/कागिरी को एतद्वारा गोंय के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जायेगा एवं हुक्म वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-5 को अनुसार होगा:-

क्र. सं. 1	तहसील 2	मूल राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या 3	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या 4	क्षेत्रफल(है० में) 5
1.	मंतरागल	भाकरी/4599	1. भार का पुरा/350	385
			2. कांकरिया पुरा/300	193
		ओड/2172	3. देवीपुरा/395	660.91
			4. इमरतापुरा/550	778.43
		रोहड़/4720	5. कैमकच्छ /293	283
			6. गुवारीखंडा/395	1071
		जरगडपुरा/733	7. टाटू की डगरिया/300	205
		गुरदह/3374	8. डालेन का पुरा/425	660
			9. नागरी का पुरा/810	851
		धोरेटा/2231	10. ईडर का पुरा/360	394
2.	करौली	कोटा (गाँव)/4651	11. कवरपुर/700	484.61
		रामपुरा/1837	12. केशरीसिंह का पुरा /812	296.32
3.	राफोटरा	बहादुरपुर/3429	13. चूरिया की /900	624.50
			14. करई/300	704.13
4.	टोडाभीम	मोरखा/6356	15. रामपुरा/1067	115.26
			16. गढी/800	310.09
			17. ईगापुरा/687	282.85

आज्ञा से,

(गगवान साहाय भीणा)
शासन उप सचिव

कमरा:-2

2214

2-10-07

कामलाम तहसीलदार (अ-अ) करीली

कमाक/परीषद 5516

दि 14-8-24

सहायक अभियन्ता
सी. पि. वि., अम्बेडकर कुशाव ।

विषय : ग्राम पाटोरे के सहाय मै. श्रमिका उपलब्ध करवाने
बालन ।

प्रसंग : आपका पत्रांक 61
30/7/24

उपरोक्त विषयान्वित व प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत में विवेचित
जैसा है कि नवीन राजस्व ग्राम - पाटोरे ग्राम - बीजलपुर में दि :
15/6/1987 को पुनः किया गया था ।

श्रमिका अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

रश्मि
तहसीलदार (म.ब.)
करीली (रा.ब.)